

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक प0 12/12(19)राजस्व/2022/8

दिनांक ५/11/2023

आदेश

अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में उपखण्ड सरमथुरा में कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई। जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर द्वारा तहसील सरमथुरा के ग्राम भौहारी में 3.9681 हैक्टेयर, ग्राम गोपालपुरा में 1.5356 हैक्टेयर, ग्राम मथारा में 4.1901 हैक्टेयर एवं ग्राम मदनपुर में 5.1921 हैक्टेयर कुल वन भूमि 14.8859 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु इतनी ही गैर वन भूमि जो वन विभाग से लगी हुई वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी सरमथुरा ने अपने पत्रांक राजस्व/आवंटन/2022/572 दिनांक 22.6.2022 द्वारा कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि से लगी हुई अतिक्रमण रहित राजकीय भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु तहसील सरमथुरा के ग्राम झिरी-1 में आराजी खसरा नम्बर 2058/2053 रकबा 46.30 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बीहड में से 14.8859 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये।

उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार सरमथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न चैक लिस्ट एवं मौका पर्चा अनुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा उक्त भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्रस्तावित भूमि वन विभाग की सीमा से लगी हुई है। उप वन संरक्षक धौलपुर द्वारा अपने पत्रांक 4661 दिनांक 5.7.2022 से उक्त प्रस्तावित भूमि की स्थिति नियमानुकूल बताये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 1457 दिनांक 20.7.2022 के द्वारा गैर वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन विभाग को हस्तान्तरण/आवंटन किये जाने की स्वीकृति चाही गई थी।

संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप-3 विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.6(279)राज-3/2022 दिनांक 10.11.2022 द्वारा गैर वन भूमि को वन विभाग को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत प्रत्यावर्तन किए जाने की राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति सरमथुरा की अनुशंसा पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन बावत अनुमोदन कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3476 दिनांक 13.12.2022 से वन अधिकार पत्र जारी किया जा चुका है।

अतः उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार सरमथुरा को तहसील सरमथुरा के ग्राम झिरी-1 की आराजी खसरा नम्बर 2058/2053 रकबा 46.30 हैक्टेयर में से 14.8859 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बीहड भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन भूमि आरक्षित करते हुये धारा 102क के तहत निःशुल्क आवंटित कर राजस्व रिकार्ड में वन भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(अनिल कुमार अग्रवाल)

जिला कलक्टर

क्रमांक प0 12/12(19) राजस्व/2022/61-68

दिनांक 4/1/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
3. उप वन संरक्षक धौलपुर
4. उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा
5. तहसीलदार सरमथुरा को आवंटन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने
6. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर
7. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर
8. ग्राम पंचायत सिकरौदा पंचायत समिति राजाखेडा
9. आदेश पत्रावली

(सुदर्शन सिंह तोमर) सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

दिनांक: 20/7/2022

क्रमांक: प.8/5/(1)राजस्व/2022/1457

प्रमुख शासन सचिव

राजस्व विभाग

शासन सचिवालय जयपुर

विषय:- कालीतीर लिफ्ट परियोजना हेतु वन विभाग को गैर वन भूमि के क्षतिपूर्ति प्रस्ताव भिजवाये जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर द्वारा अपने पत्रांक 1792 दिनांक 29.03.2022 से अवगत कराया गया है कि मा० मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की पालना में धौलपुर जिले की तहसील सरमथुरा में कालीतीर लिफ्ट परियोजना हेतु तहसील सरमथुरा के ग्राम बौहारी में 3.9681 हैक्टे०, गोपालपुरा में 1.5356 हैक्टे०, मथारा में 4.1901 हैक्टे० एवं मदनपुर में 5.1921 हैक्टे० कुल वन भूमि 14.8859 हैक्टे० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्ताव (FP/RJ/WATER/153642/2021 दिनांक 22.03.2022) वन विभाग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है। उक्त प्रत्यावर्तित वन भूमि 14.8859 हैक्टे० की क्षतिपूर्ति हेतु इतनी ही गैर वन भूमि जो वन भूमि से लगी हुयी वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/आवंटन/2022/572 दिनांक 22.06.2022 द्वारा कालीतीर लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि से लगी हुयी अतिक्रमण रहित राजकीय भूमि के क्षतिपूर्ति हेतु तहसील सरमथुरा के ग्राम झिरी-1 में आ०ख०न० 2058/2053 रकबा 46.30 हैक्टे० किस्म गै०मु०बीहड में से रकबा 14.8859 हैक्टे० के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार सरमथुरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न चैकलिस्ट एवं मौकापर्चा अनुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा उक्त भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्रस्तावित भूमि वन विभाग की सीमा से लगी हुयी है। उप वन संरक्षक धौलपुर द्वारा अपने पत्रांक 4661 दिनांक 05.07.2022 से उक्त प्रस्तावित भूमि की स्थिति नियमानुकूल बताते हुये वन विभाग को आवंटन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः तहसील सरमथुरा के ग्राम झिरी-1 की आ०ख०न० 2058/2053 रकबा 46.30 हैक्टे० किस्म गै०मु०बीहड में से 14.8859 हैक्टे० गैर वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन विभाग को हस्तांतरण/आवंटन किये जाने की स्वीकृति हेतु मूल प्रस्ताव सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव दो प्रति में


(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर



गजपत

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक- प.6(279)राज-3/2022

जयपुर दिनांक: 10/11/2022

जिला कलक्टर,
घौलपुर।

12722
22/11/22

विषय:- कालीतीर लिफ्ट परियोजना हेतु वन विभाग को गैर वन भूमि के क्षतिपूर्ति प्रस्ताव भिजवाये जाने बाबत।

संदर्भ:- आवक पत्र क्रमांक 1457 दिनांक 20.07.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में आपके प्रस्तावानुसार बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की पालना में घौलपुर जिले की तहसील सरमथुरा में कालीतीर लिफ्ट परियोजना हेतु तहसील सरमथुरा के ग्राम बौहारी में 3.9681 है०, गोपालपुरा में 1.5356 है०, मथारा में 4.1901 है० एवं मदनपुर में 5.1921 है०, कुल 14.8859 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु तहसील सरमथुरा के ग्राम झिरी-1 की आ.ख.नं. 2058/2053 रकबा 46.30 है० किस्म गै.मु.बीहड में से 14.8859 है० गैर वन भूमि को वन विभाग को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत प्रत्यावर्तन किए जाने की राजकीय स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(विश्व मोहन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मा० राजस्व मंत्री महोदय
2. मास्टर गार्ड फाईल।
3. रक्षित पत्रावली

11
अनुभाग अधिकारी

(विजय कुमार शर्मा)
अधिसूचना अभियंता
जल संसाधन ग्रुप-3 द्वितीय
घौलपुर

कार्यालय उप वनसंरक्षक, धौलपुर

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कालीतीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में 14.8859 है० प्रत्यावर्तित वनभूमि के एवज में वन विभाग को दी जाने वाली गैर वनभूमि ग्राम झिरी में 14.8859 है० दिया जाना प्रस्तावित है। जिसके प्रस्ताव जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1457 दिनांक 20.07.2022 से प्रमुख शासन सचिव राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया है। उक्त प्रस्तावित हस्तांतरित की जाने वाली 14.8859 है० गैर वनभूमि ग्राम झिरी में है, जो वनविभाग के रक्षित वनखण्ड झिरी से सटी हुई है। यह गैर वनभूमि भी प्रस्तावित धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के बफर जोन का हिस्सा होगा।

अतः उक्त भूमि का आवंटन विभागीय प्रबंधन की दृष्टि से सुगम रहेगा।

दिनांक— 21.10.2022


(किशोर गुप्ता)
उप वनसंरक्षक
धौलपुर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- झिरी
पटवार हल्का :- झिरीनं.1
भू.अभि.नि. :- झिरी
तहसील :- सरमथुरा
जिला :- धौलपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 434
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	15.1900	गै.मु.नदी	15.1900		स्वीकृत नामांतरकरण : 507 24/02/2023 आवंटन	
100	139.6700	गै.मु.नदी	139.6700			
101	17.0800	गै.मु.डगरिया	17.0800			
1092	3.7200	गै.मु.बीहड़	3.7200			
1102	18.2000	गै.मु.बीहड़	18.2000			
1105	0.2500	गै.मु.बीहड़	0.2500			
1106	13.6700	गै.मु.बीहड़	13.6700			
116	5.3200	गै.मु.डगरिया	5.3200			
119	1.0900	गै.मु.डगरिया	1.0900			
1238	25.4800	गै.मु.बीहड़	25.4800			
1280	43.2200	गै.मु.नदी	43.2200			
1281	1.3700	गै.मु.नदी	1.3700			
1282	0.5600	गै.मु.बीहड़	0.5600			
1289	11.6200	गै.मु.बीहड़	11.6200			
1302	1.5700	गै.मु.बीहड़	1.5700			
131	1.9700	गै.मु.डगरिया	1.9700			
1315	2.4500	गै.मु.पहाड़	2.4500			
132	2.6800	गै.मु.डगरिया	2.6800			
1324	14.1300	गै.मु.बीहड़	14.1300			
133	1.3400	गै.मु.डगरिया	1.3400			
1340	2.3100	गै.मु.बीहड़	2.3100			
1343	16.0300	गै.मु.बीहड़	16.0300			
1344	30.8800	गै.मु.बीहड़	30.8800			
1345	2.0600	गै.मु.बीहड़	2.0600			
135	62.4400	गै.मु.डगरिया	62.4400			
1360	0.2900	गै.मु.खण्डा	0.2900			
1361	0.5800	गै.मु.खण्डा	0.5800			
1362	0.0600	गै.मु.खण्डा	0.0600			
1367	1.8800	गै.मु.	1.8800			
15	44.4000	गै.मु.डगरिया	44.4000			
155	1.3400	गै.मु.डगरिया	1.3400			
1620/2077	18.4200	गै.मु.ऊसर	18.4200			
1621	6.1100	गै.मु.	6.1100			
165	208.2800	गै.मु.डगरिया	208.2800			
167	13.8000	गै.मु.डगरिया	13.8000			



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- झिरी

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी

पटवार हल्का :- झिरीनं.1

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- झिरी

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- सरमथुरा

खाता संख्या नया :- 434

जिला :- धौलपुर

खाता संख्या पुराना :- 1

170	7.5300	गै.मु.डगरिया	7.5300
1883	0.1500	गै.मु.	0.1500
1884	3.4000	गै.मु.	3.4000
189	278.1000	गै.मु.डगरिया	278.1000
196	19.1600	गै.मु.डगरिया	19.1600
1968	4.6600	गै.मु.	4.6600
197	3.2100	गै.मु.डगरिया	3.2100
198	151.7800	गै.मु.डगरिया	151.7800
1980	0.0600	गै.मु.ऊसर	0.0600
199	163.2300	गै.मु.डगरिया	163.2300
2	0.3600	गै.मु.डगरिया	0.3600
200	170.0000	गै.मु.डगरिया	170.0000
201	334.2800	गै.मु.बीहड़	334.2800
202	80.8600	गै.मु.बीहड़	80.8600
203	50.6400	गै.मु.बीहड़	50.6400
2039	9.6200	गै.मु.नाला	9.6200
204	33.7700	गै.मु.बीहड़	33.7700
2041	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800
2043	1.0600	गै.मु.ऊसर	1.0600
2044	4.9700	गै.मु.बीहड़	4.9700
205	171.8700	गै.मु.बीहड़	171.8700
2059/2053	26.0000	गै.मु.बीहड़	26.0000
207	69.0400	गै.मु.बीहड़	69.0400
210	30.1500	गै.मु.बीहड़	30.1500
2124/2058	14.8859	गै.मु.बीहड़	14.8859
223	65.1000	गै.मु.बीहड़	65.1000
226	2.9200	गै.मु.नाला	2.9200
236	6.9900	गै.मु.नाला	6.9900
261	6.0700	गै.मु.बीहड़	6.0700
263	0.0600	गै.मु.नाला	0.0600
295	12.3700	गै.मु.बीहड़	12.3700
31	54.5500	गै.मु.डगरिया	54.5500
318	3.2400	गै.मु.बीहड़	3.2400
35	34.1100	गै.मु.डगरिया	34.1100
439	3.6400	गै.मु.बीहड़	3.6400
481	7.9300	गै.मु.बीहड़	7.9300
485	160.1700	गै.मु.बीहड़	160.1700
490	86.9600	गै.मु.पहाड़	86.9600
492	0.3400	गै.मु.पहाड़	0.3400
50	5.2600	गै.मु.डगरिया	5.2600



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- झिरी

पटवार हल्का :- झिरीनं.1

भू.अभि.नि. :- झिरी

तहसील :- सरमथुरा

जिला :- धौलपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 434

खाता संख्या पुराना :- 1

66	26.2900	गै.मु.डगरिया	26.2900
79	47.5800	जंगलात	47.5800
8	14.9700	गै.मु.डगरिया	14.9700
85	8.8700	गै.मु.डगरिया	8.8700
95	47.0400	गै.मु.डगरिया	47.0400
96	18.7600	गै.मु.डगरिया	18.7600
97	12.0000	गै.मु.नदी	12.0000
98	32.1900	गै.मु.नदी	32.1900
99	286.0700	गै.मु.नदी	286.0700

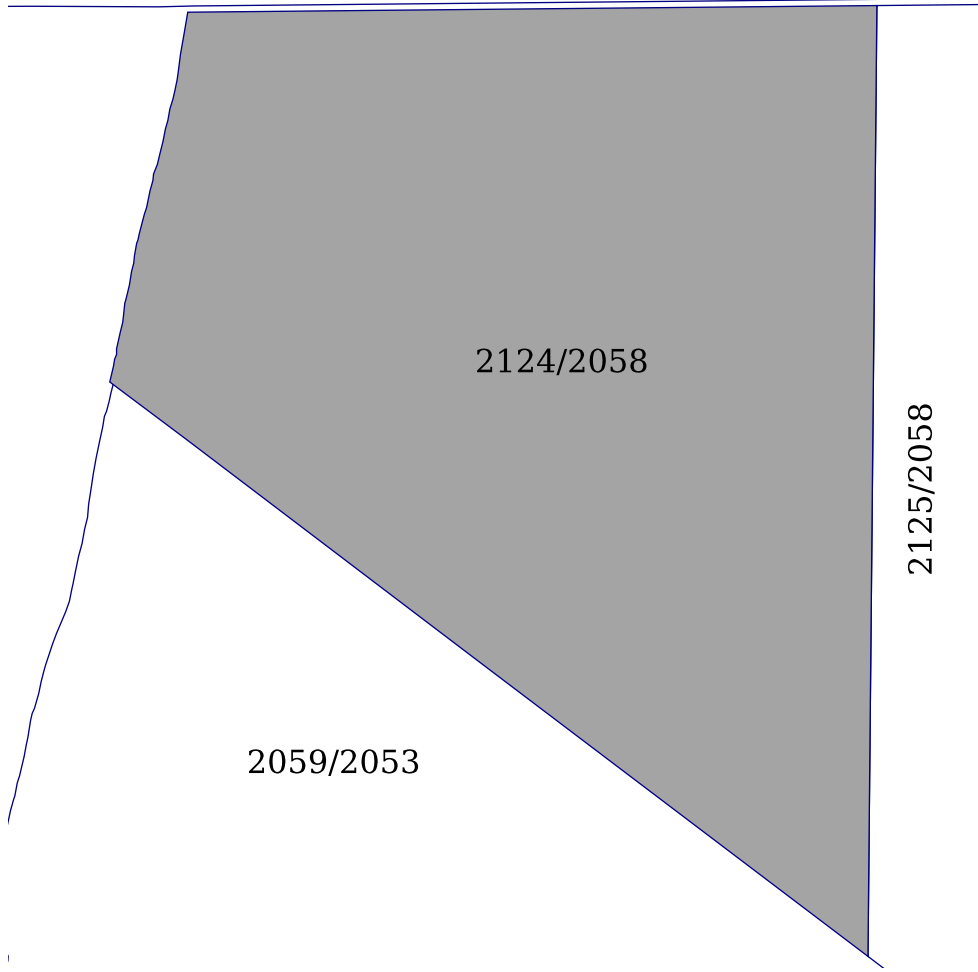
कुल खसरे - 84 3301.8059 3301.8059

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 9-Jan-2024





Scale 1:4000

खसरा संख्या :2124/2058 क्षेत्रफल : 14.8859 Hectare खाता संख्या : 434 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-

१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null